न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—127/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00127)

1. लाखा पुत्र देवा जाति रावत निवासी ग्राम दांदोला तारागढ़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर(फौत)
   1/1 राजूसिंह पुत्र लाखा
   1/2 सुरेन्द्रसिंह पुत्र लाखा
   1/3 रेखा देवी पुत्री लाखा पत्नि भंवरसिंह जाति रावत निवासी भोजपुरा तहसील तहसील ब्यावर।
   1/4 मंजू देवी पुत्री लाखा पत्नि भंवरसिंह जाति रावत निवासी अजीतगढ़ तहसील भीम जिला राजसमन्द।
   1/5 सीता देवी पुत्री लाखा पत्नि खंगार सिंह जाति रावत निवासी सहदेव नगर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कानसिंह पुत्र स्व0 लाला
2. नारायणसिंह पुत्र स्व0 लाला
3. पूनमसिंह पुत्र स्व0 लाला
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम दांदोला तारागढ़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. श्रीमती रामी बेवा लाल रावत
5. प्रताप पुत्र मोती
6. शैतान पुत्र मोती
7. मदन पुत्र मोती
8. सीता पत्नी मोती
9. रमेश नाबालिग पुत्र मिठू रावत
10. नारायण नाबालिग पुत्र मिठू रावत
11. शंकर नाबालिग पुत्र मिठू रावत
12. श्रीमती भंवरी पत्नी स्व0 मिठू रावत
    समस्त जाति रावत निवासी ग्राम दांदोला तारागढ़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर दिनांक 12.05.2017, वाद संख्या 54/ 2005.

उपस्थितः—

1. श्री मदन लाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री लोकेश चतुर्वेदी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 13
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 से 12 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः—29.09.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 54/2005 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के न्यायालय में प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4, 6 लगायत 8 के स्व0 पिता/पति मोती पुत्र दल्ला व रेस्पोडेंट संख्या 9 लगायत 12 के विरूद्ध राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 के तहत ग्राम दांदोला तहसील ब्यावर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 1214, 1218, 1221, 1223, 1225 जिसके हाल खसरा नम्बर 1720, 1732, 1736, 1737, 1740, 1741, कुल किता 6 कुल रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि बाबत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आराजी जो आगे चलकर विवादग्रस्त कहलायेगी फत्ता के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। फत्ता के दो पुत्र देवा व लालू हुए। वादी/अपीलांट देवा का पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 लालू के वारीसान हैं विवादित भूमि इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की पैतृक भूमि हैं। इसी कारण फसली जमाबंदी में वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता/पति का नाम बतौर काश्तकार अंकित है। विवादित भूमि पर कब्जा पहले देवा व लालू का संयुक्त रूप से रहा व उनके मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का संयुक्त रूप से आज दिनांक तक चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की राजस्व कर्मचारियों की भूल से आराजी खसरा नम्बर 1728, 1732, 1736, 1737, 1741 अकेले प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम अंकित हो गई है तथा खसरा नम्बर 1740 पर प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के पूर्वज दल्ला पुत्र कल्ला के नाम अंकित हो गई है जो कतई गलत व गैर कानूनी है जबकि भूमि पर कब्जा लगातार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का निरंतर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादी स्व0 देवा का एकमात्र वारिस है विवादित भूमि देवा व लालू की संयुक्त कब्जे व खातेदारी की आराजी है इस प्रकार वादी का भूमि में 1/2 हिस्सा है व बकाया 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का है। राजस्व कर्मचारियों की भूल से ही आराजी साबिक खसरा नम्बर 1225 जिसके हाल खसरा नम्बर 1740 व 1741 बने है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि से वादी के हक व अधिकारों को नकार रहे है एवं वादी को भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे है। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वादी के वाद के कथनों को अस्वीकार किया तथा यह कथन किया कि विवादित भूमि के एकमात्र मालिक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है। वादी ने गलत सजरा प्रस्तुत किया है वादी ने सगी बहन फेफी को छिपाया है जो वाद में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अभिकथनों के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर वाद की पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की गई वादी ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 5 मोती पुत्र दल्ला का स्वर्गवास हो गया जिसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने हेतु वादी ने आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वाद की पत्रावली वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. के निस्तारण हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नियत थी। इसी दरम्यान प्रकरण को राजस्व अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2007 कैम्प तारागढ़ में नियत करते हुए उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 अनुपस्थित रहे एवं ना ही लिखित बहस प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 12 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित नहीं रहें।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस कथन किया कि अभिकथनों के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर वाद की पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की गई थी। वादी ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा वादी के गवाहों की शेष साक्ष्य होना बाकी थी इसी दरम्यान प्रतिवादी संख्या 05 मोती पुत्र दल्ला का स्वर्गवास हो गया जिसके कायम मुकाम को रिकोर्ड पर लेने हेतु वादी ने आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। वाद की पत्रावली आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु नियत थी किन्तु उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2007 कैम्प तारागढ़ में नियत करते हुए बिना प्रतिवादी/अपीलांट व उसके अभिभाषक की सहमति के एवं बिना प्रकरण में अंकित बहस सुने आदेश अंतर्गत अपील द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर दिया। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 09 से 12 ने अपना इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया था। वही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने वादी के वाद को अस्पष्ट जवाब दावा प्रस्तुत हुए वादी के वाद को खारिज करने का निवेदन किया था जबकि वादी ने अपने मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य से विवादित भूमि वादी के पिता व प्रतिवादी के पिता की पूर्ण रूप से सह–खातदेारी की साबित कर दी थी जो फसली खतौनी जमाबंदी सम्वत् 1350 से स्पष्ट है कि देवा व लालू पुत्रान फत्ता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त इन्द्राज बिना किसी आधार के राजस्व कर्मचारियों द्वारा समाप्त करते हुए आगे की जमाबंदी में केवल लाल पुत्र फत्ता का नाम ही दर्ज कर दिया गया तथा वादी के पिता नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया था। इसी इन्द्राज को वादी ने अपने वाद में चुनौती दी थी। अधीनस्थ न्यायालय को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को इस प्रकार निर्णित करना था कि किसी खातेदार काश्तकार का नाम बिना किसी साक्षम न्यायालय के आदेश से राजस्व अधिकारियों को हटाने का अधिकार या नहीं। इस बिन्दु को तय किये बिना उन्होने इस आधार पर वाद का वाद खारिज कर दिया कि वादी ने कब्जे सम्बन्धित बाबत् कोई दस्तावेज वाद में प्रस्तुत नहीं किये है जबकि वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान किया तथा वादी की साक्ष्य बंद किये बिना एवं वादी को सुनलवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2007 कैम्प तारागढ़ में नियत कर क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 12.05.2017 को उनके समक्ष पत्रावली बहस हेतु परिपक्व नहीं होते हुए भी उन्होंने सीपीसी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रतिवादी/अपीलांट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का संपूर्ण अवसर प्रदान किए बिना व अपीलांट की साक्ष्य बंद किए बिना आदेश अंतर्गत अपील द्वारा वादीगण के वाद को आंशिक रूप से डिक्री करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष वाद की पत्रावली वादीगण के गवाहों की जिरह हेतु नियत थी तथा प्रकरण में दिनांक 15.05.2017 नियत कर रखी थी। दिनांक 12.05.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैंप कोर्ट तारागढ़ में नियत किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट के अभिभाषक को नहीं दी गई। अपीलांट को राजस्व लोक अदालत के समक्ष बुलाया गया था किंतु अपीलांट ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई सहमति बाबत वाद निर्णित किए जाने हेतु नहीं दी ना ही पीठासीन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई बहस की जब अपीलांट ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई बहस ही नहीं की तो बिना अपीलांट की सहमति के व सुनवाई का अवसर दिए उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर को प्रकरण को जो कि उनके समक्ष बहस हेतु परिपक्व नहीं था। वाद का अंतिम रूप से निस्तारण करने का अधिकार नहीं था। राजस्व लोक अदालत में उभयपक्षों के हस्ताक्षर आदेशिका में लिए जाकर ही सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है उपरोक्त प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा राजीनामे से न तो प्रकरण को लोक अदालत में रखवाया गया न ही लोक अदालत के समक्ष उन्होंने किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत कर वाद का निस्तारण करने में अपनी सहमति दी। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 को निरस्त किये जावें एवं वाद पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपील में राजस्थान सरकार को फ्रोर्मल पक्षकार बनाया गया है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में प्रकरण दिनांक 15.05.2017 नियत कर रखा था। दिनांक 12.05.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैंप कोर्ट तारागढ़ में नियत किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट को लोक अदालत नोटिस के द्वारा दी गई। अपीलांट को राजस्व लोक अदालत के समक्ष बुलाया गया था किंतु अपीलांट ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष पक्षकारान की लिखित में किसी प्रकार की कोई सहमति/राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया हुआ है। लोक अदालत की भावना वहॉ मान्य होगी जहॉ पर सभी पक्षकारान के बीच लिखित में समझौता, राजीनामा या विड्रो जैसे प्रकरण का निर्णय किया जा सकता है। जहॉ पक्षकारान किसी प्रकरण को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लड़ना चाहते है वहॉ पर लोक अदालत या कैम्प कोर्ट की भावना से प्रभाव रूप से पक्षकारान के मध्य निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 09 जा.दी. हेतु नियत की हुई थी। उक्त प्रार्थना–पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर वाद का निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नही होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा उक्त प्रकरण को लोक अदालत की परिभाषा के विरूद्ध जाकर प्रकरणों की संख्या बढ़ाये जाने के आधार पर यह

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2017 को प्रकरण लोक अदालत मे आपसी लिखित में सहमति/राजीनामा पत्रावली पर मौजूद नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया गया निर्णय लोक अदालत की भावना के अनुरूप नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि यदि उनके समक्ष लिखित में राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ था, उस स्थिति में प्रकरण में निर्णय नहीं कर, प्रकरण में आगामी पेशी नियत कर प्रकरण को पूर्व स्थिति में रखा जाकर आगामी कार्यवाही हेतु नियत की जाने की कार्यवाही करनी थी। उपरोक्त कारणो से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय तारागढ़ में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि सभी विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित करते हुए, सभी पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई कर समुचित अवसर देते हुए तनकीवार विस्तृत निर्णय पुनः पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के द्वारा वाद संख्या 54/2005 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित करते हुए, सभी पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई कर समुचित अवसर देते हुए तनकीवार विस्तृत निर्णय पुनः पारित करें।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर